

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

कठुमार आलवर, राज.

हल्का 91/RAC

ता 02 जू-20/10/2021

प्रकरण सं. 107/RA/21

निर्णय दिनांक :- 30/11/21

प्रकरण सं. 107/RA/21 के संबंध में प्रस्तुत हुई प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खिरकडा के आ.ख.नं. 1429 कुल रकबा 0.20 किरम जमीन गोकुल में से 0.10/80 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर राजाराम, श्रीकृष्ण पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जम्मोहन पिठ यमुधान जाख से लिया है। इस पर पटवारी हल्का खिरपुरी द्वारा दिनांक 18/10/21 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईब भू.अ.निरी. खिरपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजाराम, श्रीकृष्ण जाति जाख निवासी खिरकडा को भू.अ.नियम 1966 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील में पत्रावली, नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जकाथ नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.नं. 1429 रकबा 0.20/80 में से 0.10/80 रकबा किरम में जो विद्यमान है जोय नहीं है झिहाजा डौरसायम को अतिक्रमित किया जाये व दखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरुप लगान 0.07 Pais के 50 गुना 41/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांठा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे पैनल्टी वसूली एवं बेवखली हेतु हल्का पटवारी खिरपुरी भू.अ.निरी. खिरपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कठुमार
तहसीलदार
अलवर, अलवर (राज.)

प्रतिनिधि :- प. ड.

श. प्र. सं. 44 117
2021-22
की कार्यवाही की गई

15/12/21
तहसीलदार अलवर